रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2018/माघ 13, 1939
No. 436] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2018/MAGHA 13, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

का.आ. 505(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा के पांच जिलों में स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 2073 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जबकि प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 239.41 वर्ग किलोमीटर है;

और, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों तेंदुआ, जंगली बिल्ली, चीता बिल्ली, बंदर, लंगूर, वाटर बिल्ली, बिजूजू, सियार, भेड़िया, लकड़बग्घा, नेवला, चिंकारा, हिरण, ब्लू बुल, स्वैम्प डियर, सांभर, चीतल, हॉग डियर, जंगली सूअर, साही, खरगोश और छछुंदर , चमगादड़, सरीसृप- कछुआ, कछुआ, मॉनिटर छिपकली, पायथन, रैट स्नैक, कोबरा, करैट, और छोटा विषैला सांप, उभयचर- मगरमच्छ और घड़ियाल, पक्षीजीव- ब्राउन तीतर, ब्लैक तीतर, बटेर, लुवा बटेर, मयूर, भट तीतर, हरियाल कबूतर, धवर, चित्रोखा, छोटे फाखता, नकटा, स्पॉट बिल, बगुला, करचिया बगुला, सुरखिया बगुला, लुगलुग, क्रेन, फाल्कन, धिबिया चील, चील, सफेद गिद्ध, कोयल, जंगली उल्लू, उल्लू, चापका, नीलकंठ, धनेश, वुडपीकर, गोल्डन ओरियल, जंगली मैना, भुजुंगा, अबाबिल, सामान्य कौवा, जंगली कौवा, रेड वेंटेड बुलबुल, सेवेन सिस्टर, ऐशी रेन बेबलर, मैग्पी रॉबिन, लाल मुनिया, तोता, प्रवासी पक्षियों- बार हेडेड गूस, ब्राह्मिनी डक, पिनटेल, कॉमन टील आदि का वास है;

और, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र, को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में संत कबीर नगर हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं**--(1) उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, हापुड, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा के अंतर्गत आने वाले हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र के बीच स्थित है।

(2) हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(**3**) हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य तथा इसके संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांकों और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, तथा इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनाई जाएगी।

(4) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी।

(7) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जायेगा तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने की दृष्टि से मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा 4 में वर्णित क्रियाकलाप:

(ख) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के अन्य प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि की प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(ग) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(घ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ङ.) परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने और पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार किए जायेंगे ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जायेगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉटों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र में किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान और संरक्षण किया जाएगा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनायी जाएगी और वह योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं बनाई जाएंगी तथा उन्हें आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित रुप में होगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(12) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **इ–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय –समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

4. प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शासित होंगे तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोड़ कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों का

		स्थापना करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	प्रदूषण जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी।
5.	नई बड़ी जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजोर्ट अनुज्ञात नही होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने

		प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :- परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
11.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	वायु, और ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट पालन फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	भू-जल उत्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।
18.	विद्युत केबल बिछाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री का पुन:चक्रण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	विद्युत लाइने बिछाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना।	लागू विधियों के अधीन उचित पर्यावरण प्रभाव आकलन और उपशमन के उपायों के साथ किया जाना चाहिए।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा वन्यजीव के मुक्त

	परिसरों में बाड़ लगाना।	संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापन अपनी संपत्तियों में काटेदार बाड़ नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
25.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
28.	गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	कैम्पिंग और ट्रैकिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए जब तक 1 से 10 डिग्री के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
31.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
32.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
33.	सामुदायिक आरक्षिती प्रकृति।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
34.	कृषि पद्धतियाँ, पौधारोपण और अन्य वानिकी गतिविधियाँ ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

39.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	बागान लगाना और जड़ी- बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के जारी होने के तीन माह के भीतर, एक निगरानी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:-

1.	आयुक्त मेरठ क्षेत्र	- अध्यक्ष;
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ	–सदस्य;
3.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
4.	गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
5.	पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
6.	जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
7.	लोक निर्माण विभाग का कार्यकारी अभियंता,मेरठ	
8.	सिंचाई विभाग का कार्यकारी अभियंता, मेरठ	–सदस्य;
9.	जिला कृषि अधिकारी, मेरठ	–सदस्य;
10.	वन्यजीव वार्डन, आगरा मेरठ क्षेत्र मेरठ	–सदस्य;
11.	क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मेरठ	
12.	संभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी संभाग, मेरठ	–सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय :-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण

स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंर्तगत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/26/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा ग्राम जोगावाला, जिला मुजफ्फरनगर की सीमा से उत्तर में उ29°34'27.03" पू77°58'58.16" पर आरंभ होकर उत्तर दिशा में उ29°33'50.42" पू78°02'53.87" पर बिजनौर जिले के टीप ग्राम की ओर जाती है। इसके बाद यह मंडावर-बालावली सड़क को पार करके उ29°31'33.73" पू78°04'11.03" पर पूर्व की ओर जाती है, चंदाक-बालावाली सड़क को पार करके उ29°32'38.49" पू78°04'53.48" पर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, इसके बाद भोजपुर-फजलपुर सड़क को पार करके उ29°31' 46.05" पू78°05'29.45" पर दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है, बिजनौर हरिद्वार सड़क को पार करके उ29°30'13.86" पू78°07'53.36" पर जाकर किरतपुर-मंडावर सड़क को पार करके उ29°29'35.20" पू78°08'36.96" इसके बाद यह मलन नदी को उ29°27'22.56" पू78°08'31.75" को पार

करके दक्षिण दिशा की ओर जाती है। गजरौला शिव सड़क को उ29°26'14.61" पू78°08'28.58" पर पार करके, बिजनौर-किरतपुर सड़क को एनएच 119 उ29°23'22.19" पू78°08'49.56" पर पार करके पूर्व की ओर जाती है, बिजनौर-नगीना सड़क उ29°23'05.23" पू78°09'16.42" पर पार करती है, दक्षिण पूर्व दिशा में बिजनौर-मुरादाबाद उ29°21'39.92" पू78°08'50.82" को पार करती है, दक्षिण दिशा की ओर उ29°16'44.83" पू78°07'40.68" पर गंज-हलदौर सड़क को पार करके, पूर्वी गंगा नहर को पार करके उ29°14'58.43" पू78°12'53.06" चांदपुर-नहटौर सड़क को उ29°08'56.26" पू78°16'35.71" पर पार करती है, चांदपुर-नूरपुर सड़क को उ29°07'52.75" पू78°17'23.13" पर पार करती है और चांदपुर –फिना सड़क को उ29°07'12.45" पू78°17'11.80" पर पार करके उ29°01'48.74" पू78°16'49.99" अमरोहा जिले के पंधेरी सादात ग्राम तक पहुँचती है।

अमरोहा जिले के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा बिजनौर जिले के फनदेदी ग्राम की सीमा पर जीपीएस उ29°00'53.68" पू78°09'46.32" से आरंभ होती है और उत्तर पूर्व दिशा में जाती है फिर यह रसूलपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ29°00'37.53" पू78°09'44.73" तक पहुँचती है, इसके बाद यह सीमा पुनः पूर्व दिशा में जाती है और फिर यह चुचेला कलां ग्राम पर जीपीएस बिंदु उ28°35'35.41" पू78°09'40.74" पर पहुँचती है। इसके बाद सीमा पूर्व की ओर जाती है फिर यह रामगंगा फीडर नहर पर जीपीएस बिंदु उ28°35'24.51" पू78°09'38.27" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है फिर यह धनौरा नोगावन मार्ग पर जीपीएस बिंदु उ28°34'58.39" पू78°09'21.26" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा जीपीएस बिंदु उ28°33'56.50" पू78°09'14.22" पर एसडीएम कालोनी के निकट पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद सीमा उत्तर पूर्व दिशा में जाती है फिर यह कुम्हारपुरा ग्राम पर जीपीएस बिंदु उ28°33'39.50" पू78°09'07.31" तक पहुँचती है। इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है फिर यह फतेहपुर चेतरा ग्राम के साथ जीपीएस बिंदु उ28°32'30.32" पू78°08'41.07" तक पहुँचती है। इसके बाद रेखा पुनः दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर यह जोगीपुरा ग्राम के जीपीएस बिंदु उ28°31'30.81" पू78°08'32.22" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा पूर्व दिशा में जाती है फिर यह सलेमपुर गोसाई ग्राम पर जीपीएस बिंदु उ28°30'56.70" पू78°08'25.07" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है फिर यह खाईखेडा ग्राम पर जीपीएस बिंदु उ28°30'37.05" पू78°08'04.27" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा पूर्व दिशा में जाकर कुमराला पक्का पुल पर जीपीएस बिंदु उ28°30'08.07" पू78°07'55.29" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा पुनः पूर्व दिशा में जाती है और गजरोला रेलवे स्टेशन पर जीपीएस बिंदु उ28°30'06.29" पू78°08'42.86" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा उत्तर पूर्व दिशा में जाती है फिर यह अलीपुर चोपला पर जीपीएस बिंदु उ28°29'42.96" पू78°09'00.64" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण दिशा में जाती है फिर यह अलीपुर चोपला हसनपुर सड़क पर जीपीएस बिंदु उ28°29'33.54" पू78°08'42.91" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में पुनः जाती है फिर यह नैयपुरा ग्राम के साथ जीपीएस बिंदु उ28°29'26.56" पू78°08'27.98" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण दिशा में जाकर सुल्तानथेर ग्राम पर जीपीएस बिंदु उ28°28'23.02" पू78°07'15.93" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण दिशा में पुनः जाती है फिर यह बिजोरा मार्ग पर जीपीएस बिंदु उ28°27'47.05" पू78°06'16.25" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा पश्चिम दिशा में जाकर फिर यह जीपीएस बिंदु उ28°27'37.06" पू78°05'41.84" तक

पहुँचती है, अमरोहा जिला में आखिरी ग्राम मोहम्मदाबाद में शून्य बिंदु पर जाकर यह हापुड़ जिला की सीमा तक पहुँचती है।

हापुड़ जिले में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा अमरोहा जिले की सीमा पर उ28°41'30.67" पू78°8'24.46" से आरंभ होती है, इसके बाद यह अलमगीरपुर, बृजघाट, अलबकशपुर ग्रामों से होते हुए एनएच-24 के साथ जाती है इसके बाद यह गरह-सियाना सड़क को छूकर उत्तर की ओर मुड़ती है और सियाना गरह चोपला को उ28°46'5.10" पू78°5'2.16" पर पार करती है। इसके बाद यह गढ़मेरठ सड़क को पार करके उ28°47'3.41" पू78°4'9.08" दोतई गांव के पार से पश्चिम दिशा की ओर जाती है। इसके बाद यह कल्याणपुर, कुलपुर, झादिना ग्रामों को छूती हुई उत्तर दिशा में मुड़ती है और सैदपुर रेगुलेटर पर उ28°52'09.24" पू78°2'04.2" पर मेरठ जिले की सीमा तक पहुँचती है।

मेरठ जिले में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा उ28°52'38.65" पू78°1'11.20" से आरंभ होती है इसके बाद सड़क को पार करके उ29°2'39.20" पू77°58'29.41" पर असीलपुर, अगवानपुर, खाईखेरा ग्रामों को पार करके उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद यह गांव गजुपरा में मवाना-चांदपुर सड़क को उ29°5'39.85" पू77°58'42.87" पर पार करके उत्तर की ओर जाती है, इसके बाद दरियापुर, अफजलपुर और नाईपोथा ग्रामों को छूती हुई उत्तर की ओर जाती है और गणेशपुर-हस्तिनापुर सड़क उ29°8'54.73" पू77°58'10.94" पर पार करती है, उसके बाद तजपुरा, समसपुर एवं फतेहपुर हंसपुर ग्रामों को छूकर उत्तर दिशा में मुड़ती है और मुजफ्फरनगर जिले की सीमा पर मोहमदपुर शाकिस्त ग्राम पर उ29°14'39.89" पू77°58'49.32" पर पहुँचती है।

मुजफ्फरनगर जिले में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा हसमपुरा ग्राम में उ29°14'39.89" पू77°58'49.32" से आरंभ होकर और पुत्तही इब्राहिमपुर और किथोडा ग्रामों को छूकर उत्तर की ओर मुड़ती है, इसके बाद मेरठ-पौड़ी सड़क को उ29°17'34.14" पू77°56'58.90" पर पार करती है, इसके बाद मीरापुर, जमलपुर बंगाल, सिकन्दरपुर, ज़दवद, कटिया और तेंदेदा सदत ग्रामों को छूती हुई उत्तर की ओर जाती है और मोरना-जनसथ सड़क का उ 29°23'38.89" पू77°55'12.22" पर पार करती है। इसके बाद यह ककरौली ग्राम को छूकर उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद मुजफ्फरनगर-जौली-बेहदा सदत सड़क को उ29°24'40.31" पू77°58'48.73" पर पार करके, पानीपत-खतिमा सड़क को उ29°28'07.98" पू 77°55'39.98" पर पार करके बेहदा सदत, दौलतपुर एवं बेहदा हैदी ग्रामों को छूती हुई उत्तर की ओर मुड़ती है, इसके बाद यह मोरना नगर और अथाई ग्राम को छूती हुई उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद यह मुख्य गंगा नहर की उ29°30'05.42" पू77°52'37.72" पर पार करती है, इसके बाद यह बेलदा और धीराहेरी ग्रामों को पार करके उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद यह मुख्य गंगा नहर की उ29°31'25.41" पू77°52'45.12" पर पार करती है, इसके बाद यह गगवड़ा ग्राम को छूती हुई उत्तर दिशा में मुड़ती है। इसके बाद यह गंगा नहर के सहायक धाराओं को उ29°34'08.07" पू77°53' 01.35" पर पार करती है, इसके बाद यह दुहेली नंगला, मलकपुर, जिंदावाला और अलमावाला ग्रामों को छूती हुई पूर्व दिशा में जाती है, इसके बाद यह जोगावाला ग्राम में उ29°34'27.03" पू77°58'58.16" पर मुजफ्फरनगर जिले की सीमा तक पहुँचती है।

उपाबंध II

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

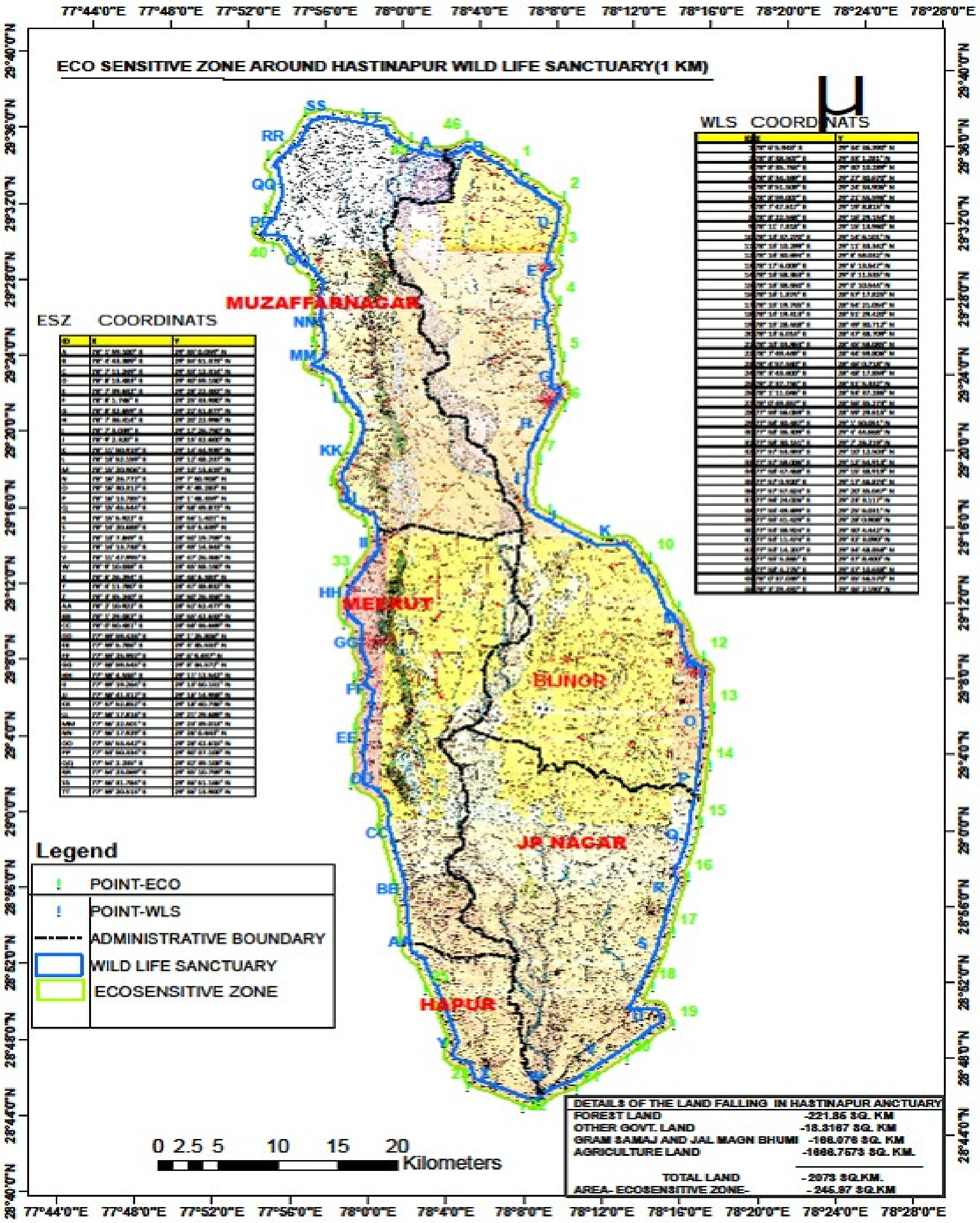

उपाबंध III

हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

जिला नाम	क्र.सं.	ग्राम नाम	जी.पी.एस. अवस्थिति					
			उ			पू		
			डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
	1	2	3	4	5	6	7	8
मेरठ	1	मोहम्मद पुर	29	14	17.1	77	58	57.4
	2	मोड खुर्द	29	13	40.1	77	58	34.9
	3	सदर पुर	29	13	34.2	77	58	31.8
	4	बहसुमा	29	12	25.3	77	57	37.5
	5	समसपुर	29	11	08.2	77	57	34.0
	6	रेहमापुर	29	10	14.3	77	57	58.0
	7	हस्तिनापुर/गणेशपुर	29	08	56.5	77	58	17.5
	8	नगला चंद	29	07	43.0	77	58	43.8
	9	पाली	29	07	21.2	77	59	26.5
	10	इकबारा	29	06	49.1	77	58	16.0
	11	दरियापुर	29	06	30.9	77	59	07.3
	12	निदावली	29	05	59.2	77	58	52.2
	13	धुमा नगली	29	05	39.5	77	58	47.9
	14	अलीपुर मोरना	29	05	07.5	77	58	47.6
	15	गजरौली	29	04	52.3	77	58	40.5
	16	अकबरपुर इच्छाबाद	29	04	08.2	77	58	39.3
	17	हुमायुन पुर	29	02	57.7	77	58	37.4
	18	जय सिंह पुर	29	02	34.0	77	58	36.9
	19	अगवानपुर	28	59.643	-	77	59.843	-
	20	नारंगपुर	28	58.440	-	78	00.391	-
	21	गेसुपुर सुमाली	28	56.257	-	78	01.393	-
	22	गेसुपुर जनुबी	28	56.017	-	78	01.352	-
	23	महमूद पुर	28	55.587	-	78	01.441	-
	24	असीलपुर	28	53.860	-	78	01.684	-
बिजनौर	1	मीरापुर खादर	29	31	625	78	04	069
	2	दयाल वाला	29	31	567	78	04	255

	3	शेखु पुरा	29	31	090	78	05	593
	4	देवी दास वाला	29	30	216	78	04	432
	5	मंदावर	29	29	391	78	07	458
	6	मोंदिया	29	29	876	78	08	459
	7	लालपुर	29	28	616	78	07	807
	8	लायक पुर	29	27	985	78	07	956
	9	सुखानंद पुर	29	28	644	78	07	994
	10	जनदार पुर	29	25	938	78	07	901
	11	गजरौला शिव	29	26	274	78	08	488
	12	मंडावली सैदु	29	25	623	78	07	918
	13	जमाल पुर पठानी	29	25	023	78	08	015
	14	आदमपुर	29	23	311	78	08	727
	15	बिजनौर	29	22	909	78	08	188
	16	आदर्श नगर	29	23	311	78	08	727
	17	बकशी वाला	29	22	253	78	08	961
	18	बुखारा	29	22	363	78	08	765
	19	झंडा पुर	29	20	716	78	07	782
	20	लक्की वाला	29	18	310	78	07	051
	21	दारा नगर गंज	29	16	719	78	07	028
	22	शाहपुर	29	15	988	78	08	021
	23	महमूदा	29	15	641	78	09	189
	24	छचहरी टीप	29	14	665	78	10	746
	25	झलाउ लेदा	29	14	768	78	11	986
	26	हीमपुर दीपा	29	13	42.0	78	13	07.4
	27	रतन पुर खुर्द	29	13	30.1	78	13	20.8
	28	सुदनी पुर रवती	29	12	42.7	78	13	50.5
	29	अकबर पुर टिगरी	29	11	12.3	78	14	36.6
	30	रौनिया	29	10	28.7	78	15	18.6
	31	सयाउ	29	08	48.3	78	15	46.4
	32	चांदपुर	29	08	16.2	78	15	43.5
	33	हरपुर	29	06	20.3	78	16	42.9
	34	मिर्जापुर	29	05	36.6	78	16	51.3
	35	बगदपुर	29	04	22.5	78	16	39.0

	36	दरवाडा	29	05	57.7	78	16	30.6
हापुड़	**1**	सैदपुर	28	52	22.0	78	02	37.2
	2	कल्याण पुर	28	49	45.2	78	03	22.7
	3	जनपुरा	28	49	28.1	78	03	10.6
	4	खिलवई	28	48	42.6	78	03	33.7
	5	दोताई	28	47	57.2	78	03	18.3
	6	अल्लावक्श पुर	28	46	05.8	78	06	11.2
अमरोहा	**1**	बछरायुन	28	55	50	78	14	56.6
	2	फत्तेपुर छिछरा	28	54	22.03	78	14	35.02
	3	जोगीपुर	28	53	59.1	78	14	25.0
	4	सकरथली	28	52	20.7	78	13	57.04
	5	चकी खेड़ा	28	51	25.1	78	13	25.0
	6	अहरोला तेज़वान	28	51	13.2	78	13	30.0
	7	कृपाल नाथ पुर	28	50	18.8	78	13	06.7
(हसनपुर	**8**	फज़ल पुर	28	50	17.09	78	14	04.3
रेंज)	**9**	गजरौला	28	50	17.06	78	14	32.02
	10	कुम्हारपुरा	28	55	52.3	78	15	03.2
	11	मोहम्मद पुरा	28	56	17.3	78	15	22.2
	12	कमल पुर काजी	28	56	54.7	78	15	42.1
	13	धनौरा शहर	28	57	33.6	78	15	23.5
	14	पत्तरकुटी	28	58	29.2	78	15	42.5
	15	चुचैला कलान	29	59	51.7	78	16	09.8
	16	रसूल पुर	27	01	03.3	78	16	15.3
	17	फदेदी	29	01	49.6	78	16	25.5
	18	महमूदा बाद	28	46	19.0	78	09	53.0
	19	कनकाथेर	28	47	07.4	78	11	11.1
	20	सुलतान थेर	28	47	45.0	78	12	08.3
	21	खियाली पुर	28	47	43.7	78	12	08.0
	22	नई पुरा	28	48	53.1	78	13	44.4
	23	भारतीय ग्राम	28	49	09.8	78	14	01.3

मुजफ्फर नगर	**1**	हासम पुरा	29	15	25.80	77	58	46.51
	2	किथोरा	29	16	51.09	77	57	11.55
	3	मीरा पुर	29	17	35.10	77	56	58.90
	4	वलीपुरा	29	18	10.74	77	56	52.64
	5	सिकन्दर पुर	29	19	38.08	77	57	37.54
	6	जदवाद	29	20	50.76	77	57	51.88
	7	कटिया	29	21	39.05	77	57	20.63
	8	तनधेदा सदत	29	22	17.79	77	56	52.12
	9	तनधेदा गईराबाद	29	22	32.54	77	56	44.25
	10	ककरौली	29	23	41.59	77	55	10.33
	11	दौलत पुर	29	25	47.52	77	55	38.47
	12	ककराला	29	28	22.08	77	55	24.04
	13	भीदाहेदी	29	27	27.75	77	55	25.12
	14	नई बस्ती मौरना	29	27	45.60	77	55	35.16
	15	अथाई	29	29	24.40	77	54	16.00
	16	बेलदा	29	30	28.48	77	52	33.23
	17	धीराहेदी	29	30	42.86	77	52	24.66
	18	सिकन्दर पुर	29	32	29.54	77	53	20.07
	19	लालपुर गैराबाद	29	32	36.68	77	53	21.86
	20	ज़िदावाला	29	34	54.68	77	55	15.47
	21	कलेवाल	29	35	06.78	77	54	50.93
	22	मिलकपुर	29	34	47.12	77	53	31.16
	23	नारायण पुरी	29	34	55.98	77	53	52.72
	24	बबरा गैराबाद	29	18	32.69	77	56	58.74
	25	जमालपुर बैंगर	29	18	56.24	77	57	13.09
	26	खोखनी	29	24	19.99	77	55	26.50
	27	रायपुर	29	30	07.23	77	53	07.19
	28	निरंगाजनी	29	31	19.07	77	52	45.94
	29	दुहेली	29	34	37.27	77	53	10.45
	30	हाजीपुर खादर गैराबाद	29	34	36.68	77	58	28.17
	31	अलमावाला	29	34	21.89	77	59	58.93
	32	मजलीशपुर	29	34	18.15	78	00	09.62

	33	शाहजहाँ पुर	29	33	32.16	78	01	14.72

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति-की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार । विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

S.O. 505(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Hastinapur Wildlife Sanctuary is located in five districts-Muzaffarnagar, Meerut, Hapur, Bijnor & Amroha of Uttar Pradesh. The Hastinapur Wild Life Sanctuary spreads in an area of 2073 sq. km. while the area of the proposed Eco-sensitive zone is 239.41 Sq Km.

AND WHEREAS, The Hastinapur Wildlife Sanctuary is a habitat of Mammals–Leopard, Jungle cat, Cheeta cat, Monkey, Langur, Water cat, Bijjoo, Jackal, Wolf, Hyena, Mongoose, Chinkara, Deer, Blue bull, Swamp deer,

Sambhar, Cheetal, Hog deer, Wild boar, Porcupine, Rabbit & Chachunder, Bat, Reptiles- Turtles, Tortoise, Monitor Lizard, Python, Rat snake, Cobra, Crait, & Viper, Amphibians– Crocodile & Gharial, Avifauna – Brown teetar, Black teetar, Bater, Luva bater, Peacock, Bhat teetar, Hariyal pigeon, Dhavar, Chitrokha, Small Fakhta, Nakta, Spot bill, Bagula, Karchia bagula, Surkhia bagula, Luglug, Crane, Falcon, Dhebia cheel, Cheel, White vultures, Koel, Wild owl, Owl, Chapka, Neelkanth, Dhanesh, Woodpeaker, Golden oriole, Wild myna, Bhujunga, Ababill, Common crow, Wild crow, Red vented bulbul, Seven sisters, Ashi rain babler, Magpie Robin, Baya, Red munia, Parrot Migratory birds- Bar headed goose, Brahmni duck, Pintail, Common teal etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area up to **one kilometer** from the boundary of the protected area of Hastinapur Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to one kilometre from the boundary of the protected area of Hastinapur Wildlife Sanctuary in the state of Uttar Pradesh (as shown in the map annexed to the notification as Annexure A), as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely.

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The said Eco-Sensitive Zone is situated between the area up to one kilometer all around the boundary of Hastinapur Wildlife Sanctuary that is falling in the Meerut, Hapur, Muzaffarnagar, Bijnor and Amroha district of Uttar Pradesh.

(2) The boundary description of Hastinapur Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of Hastinapur Wildlife Sanctuary along with the Geo-coordinates of protected area and its Eco-sensitive Zone Eco-Sensitive Zone is given at Annexure-II.

(4) The list of the villages falling within one kilometer distance of the boundary of Hastinapur Wildlife Sanctuary in the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-III.** \

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal ;
(x) Panchayati Raj ; and
(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of the final notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:-

(1) **Landuse.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities :

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the to meet the residential needs of the local residents, and for activity such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given in paragraph 4:

b) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

c) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

d) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

e) Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism -** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Hastinapur Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of final notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986;

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder;

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the water (Prevention control of pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(2) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular pollution:** -Prevention and control of vehicular pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with applicable laws and effort shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) **Plastic waste management:-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.-

(14) Construction and demolition waste management:- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) Industrial units.- (i) no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in the final notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted Activities:-**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated activities		
9. .	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
10. .	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to

		undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11. .	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
12. .	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate companies	Regulated
14.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
15.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Erection of electric cables	Regulated under applicable laws.
19.	Recycling of bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
20.	Installation of electric lines.	Regulated under applicable laws. Promote underground cabling.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
24.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
25.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.

26.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
28. .	Collection of non-timber forest products	Regulated under applicable laws.
29.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
30.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 degree and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
33.	Community Reserve Nature	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
34.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
38.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
41.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Skill development.	Shall be actively promoted.
43.	Environment awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government within three months of this Notification, constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the final notification, comprising of the following, namely:-

1.	Commissioner Meerut Zone	Chairman;
2.	Senior Superintendent of Police, Meerut	Member

3.	A representative of Ministry of Environment and Forest, Government of India	Member
4.	One representative of a Non Governmental Organization (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India	Member
5.	One Expert in Ecology	Member
6.	One Expert in Biodiversity	Member
7.	Executive Engineer of PWD, Meerut	Member
8.	Executive Engineer of Irrigation Department, Meerut	Member
9.	District Agriculture Officer, Meerut	Member
10.	Wildlife Warden, Agra Meerut Region Meerut	Member
11.	Regional Office, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Meerut	Member
12.	Divisional Director, Social Forestry Division, Meerut	Member Secretary

6. **Terms of reference:**

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of the final Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector (s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of the final notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at

Annexure-IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders; The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/26/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

The boundary of Eco Sensitive Zone of HWLS starts at N29°34'27.03" E77°58'58.16" in the north on the Boundary of District- Muzaffarnagar at Village- Jogawala and moves towards Teep village of Bijnor district in North direction at N29°33'50.42" E78°02'53.87" . Then it runs eastward crossing Mandawar- Balalwali road at N29°31'33.73" E78°04'11.03" runs south east crossing chandok- Balawali road at N29°32'38.49" E78°04'53.48", further runs in south east direction crossing Bhojpur - Fajalpur Road at N29°31' 46.05" E78°05'29.45", crossing Bijnor Haridwar road at N29°30'13.86" E78°07'53.36". then crossing Kiratpur- Mandawar road at N29°29'35.20" E78°08'36.96", then it runs in southward direction crossing Malan Nadi at N29°27'22.56" E78°08'31.75", crossing Gajraula Shiv road at N29°26'14.61" E78°08'28.58", runs eastward crossing at Bijnor-Kiratpur road N.H 119 at N29°23'22.19" E78°08'49.56", crossing Bijnor - Nagina Road at N29°23'05.23" E78°09'16.42", crossing Bijnor-Moradabad road in south east direction at N29°21'39.92" E78°08'50.82", crossing Ganj-Haldaur road in southward direction at N29°16'44.83" E78°07'40.68" crossing East Ganga Canal at N29°14'58.43" E78°12'53.06", crossing Chandpur-Nahtaur road at N29°08'56.26" E78°16'35.71", crossing Chandpur-Noorpur road at N29°07'52.75" E78°17'23.13" and crossing Chandpur-Feena road at N29°07'12.45" E78°17'11.80", and reaches Pandheri Sadat Village of Amroha district at N29°01'48.74" E78°16'49.99".

In Amroha District, the boundary of eco-sensitive zone starts at GPS N29°00'53.68" E78°09'46.32" on Fandedy village border of Bijnor district and runs in north east direction till it reaches Rasulpur village at GPS point N29°00'37.53" E78°09'44.73", then the line continues in east direction till it reaches Chuchela Kalan village with GPS point N28°35'35.41" E78°09'40.74". Then the line runs eastwards till it reaches Ramganga Feeder Canal at GPS point N28°35'24.51" E78°09'38.27". Then the line runs in the south east direction till it reaches Dhanaura Nogavan Marg with GPS point N28°34'58.39" E78°09'21.26". Further the lines runs in the east direction up to near SDM colony with GPS point N28°33'56.50" E78°09'14.22". Then the lines run in the north east direction till it reaches Kumharpura village with GPS point N28°33'39.50" E78°09'07.31". Then the line runs in the south east direction till it reaches Fatehpur Chetra village with GPS N28°32'30.32" E78°08'41.07", then the line continus in South east direction till it reaches Jogipura village at GPS point N28°31'30.81" E78°08'32.22". Then the line runs in the east direction till it reaches Salempur Gosai Village with GPS point N28°30'56.70" E78°08'25.07". Then the line runs in the south east direction till it reaches Khaikheda Village with GPS point N28°30'37.05" E78°08'04.27". Then the line runs in the east direction till it reaches Kumrala Pakka Pul with GPS point N28°30'08.07" E78°07'55.29". Further the line continues in east direction till it reaches Gajrola railway station with GPS point N28°30'06.29" E78°08'42.86". Then the line runs in north east direction till it reaches Alipur chopla with GPS point N28°29'42.96" E78°09'00.64" . Then the line runs in south direction till it reaches Alipur chopla Hasanpur road with GPS point N28°29'33.54" E78°08'42.91". Further the line continues in south east direction till it reaches Nayepura village with GPS point N28°29'26.56" E78°08'27.98". Then the line runs in south direction till it reaches Sultanther village with GPS point N28°28'23.02" E78°07'15.93". Further the line continues in south direction till it reaches Bijora marg with GPS point N28°27'47.05" E78°06'16.25". Then the line runs in west direction till it reaches GPS point N28°27'37.06" E78°05'41.84", zero point in last village Mohammadabad in Amroha District till it reaches border of Hapur district.

In Hapur district, the boundary of eco sensitive zone starts at the boundary of district Amroha at N28°41'30.67" E78°8'24.46", then it runs along NH-24 through Alamgirpur, Brijghat, Allahbakshpur villages then it moves northwards touching Garh-Siyana road crossing Siyana Garh chopla at N28°46'5.10" E78°5'2.16". Then it moves along Garh-Meerut road through left of Garhmukteshwar town at 28°47'3.41" E78°4'9.08". Then it moves in west direction crossing Garh-Meerut road near village Dotai at N28°47'7.31" E78°4'0.21". Then it moves in the north direction touching villages Kalyanpur, Kulpur, Jhadina and reaches at the boundary of Meerut district at Saidpur Regulator at N28°52'09.24" E78°2'04.2"

In Meerut district, the boundary of Eco Sensitive Zone starts at N28°52'38.65" E78°1'11.20" then moves northwards crossing villages Asilpur, Agwanpur, Khaikhera crossing the road at N29°2'39.20" E77°58'29.41" then moves northwards crossing village Gajupura crossing Mawana-Chandpur road at N29°5'39.85" E77°58'42.87", then northwards touching villages Dariyapur, Afjalpur and Naipootha and crosses Ganeshpur-Hastinapur road at N29°8'54.73" E77°58'10.94", then moves in north direction touching villages Tajpura, Samaspur & Fatehpur Hansapur and reaches village Mohamadpur Shakist at N29°14'39.89" E77°58'49.32" on the boundary of District Muzaffarnagar.

In Muzaffarnagar district, the boundary of Eco Sensitive Zone Starts at village Hasampura at N29°14'39.89" E77°58'49.32" and moves northwards touching villages Putthi Ibrahimpur and Kithoda, then Crosses Meerut - Pauri Road at N29°17'34.14" E77°56'58.90" then runs northwards touching town Meerapur, Jamalpur Bangar, Sikanderpur, Zadwad, Katiya and Tendeda Sadat villages and corssing Morna -Jansath Road at N 29°23'38.89" E77°55'12.22". Then it moves northwards touching village Kakrauli then crossing Muzaffarnagar- Joli- Behda Sadat Road at N29°24'40.31" E77°58'48.73", then moves further north touching villages Behda Sadat, Daulatpur & Bhedda Hedi crossing Panipat-Khatima Road at N29°28'07.98" E 77°55'39.98", then it moves north touching town Morna and village Athai then it crosses Main Ganga Canal at N29°30'05.42" E77°52'37.72", then it moves northwards crossing villages Belda and Dheeraheri then it crosses Main Ganga Canal at N29°31'25.41" E77°52'45.12", then it moves in north direction touching village Gagwada. Then it Crosses Minor Distributary of Ganga Canal at N29°34'08.07" E77°53' 01.35", then it goes in east direction touching villages Duheli Nangla, Malakpur, Zindawala and Almawala, then it reaches the boundary of District- Muzaffarnagar at Village- Jogawala at N29°34'27.03" E77°58'58.16".

ANNEXURE- II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF HASTINAPUR WLS ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

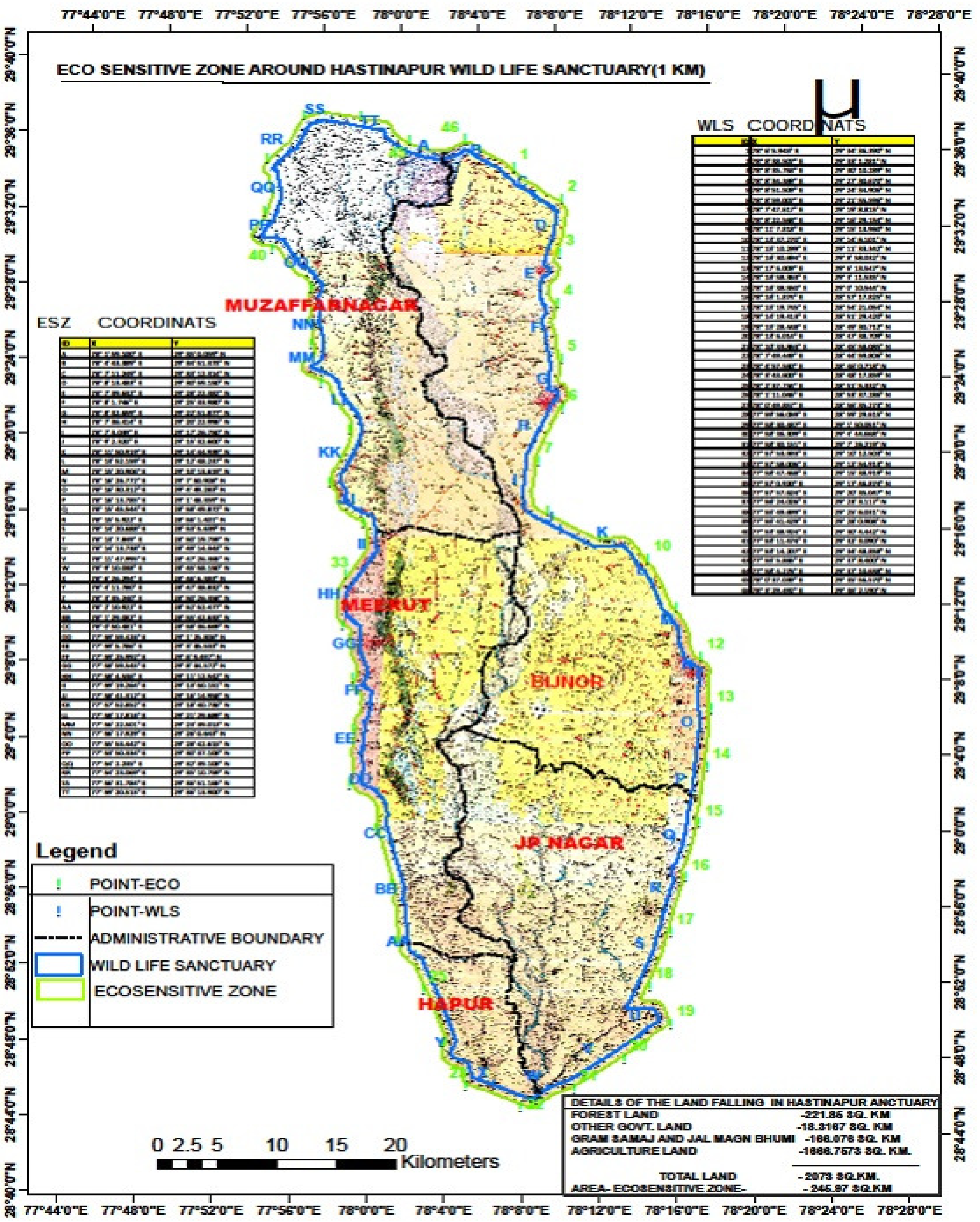

ANNEXURE-III

Geo-Coordinates of Boundary of villages falling in Eco-sensitive zone of Hastinapur Wildlife Sanctuary

District Name	S.No.	Village Name	G.P.S. Location					
			N			E		
			Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second
	1	2	3	4	5	6	7	8
Meerut	1	Mohammad pur	29	14	17.1	77	58	57.4
	2	Mod khurd	29	13	40.1	77	58	34.9
	3	Sadar pur	29	13	34.2	77	58	31.8
	4	Bahsuma	29	12	25.3	77	57	37.5
	5	Samaspur	29	11	08.2	77	57	34.0
	6	Rehmapur	29	10	14.3	77	57	58.0
	7	Hastinapur/ Ganeshpur	29	08	56.5	77	58	17.5
	8	Nagla Chand	29	07	43.0	77	58	43.8
	9	Pali	29	07	21.2	77	59	26.5
	10	Ikbara	29	06	49.1	77	58	16.0
	11	Dariyapur	29	06	30.9	77	59	07.3
	12	Nidawli	29	05	59.2	77	58	52.2
	13	Dhuma Nagli	29	05	39.5	77	58	47.9
	14	Alipur Morna	29	05	07.5	77	58	47.6
	15	Gajrauli	29	04	52.3	77	58	40.5
	16	Akbarpur Ichchabad	29	04	08.2	77	58	39.3
	17	Humayun Pur	29	02	57.7	77	58	37.4
	18	Jay Singh Pur	29	02	34.0	77	58	36.9
	19	Agwanpur	28	59.643	-	77	59.843	-
	20	Narangpur	28	58.440	-	78	00.391	-
	21	Gesupur Sumali	28	56.257	-	78	01.393	-
	22	Gesupur Janubi	28	56.017	-	78	01.352	-
	23	Mahmood Pur	28	55.587	-	78	01.441	-
	24	Aseel Pur	28	53.860	-	78	01.684	-
Bijnor	1	Meerapur Khadar	29	31	625	78	04	069
	2	Dayal Wala	29	31	567	78	04	255
	3	Shekhu pura	29	31	090	78	05	593
	4	Devi Das Wala	29	30	216	78	04	432
	5	Mandawar	29	29	391	78	07	458
	6	Mondiya	29	29	876	78	08	459
	7	Lalpur	29	28	616	78	07	807
	8	Layak pur	29	27	985	78	07	956
	9	Sukhanand pur	29	28	644	78	07	994
	10	Jandar pur	29	25	938	78	07	901
	11	Gajraula shiv	29	26	274	78	08	488
	12	Mandawli Saidu	29	25	623	78	07	918
	13	Jamal pur Pathani	29	25	023	78	08	015
	14	Adampur	29	23	311	78	08	727
	15	Bijnor	29	22	909	78	08	188
	16	Adarsh Nagar	29	23	311	78	08	727
	17	Bakshi wala	29	22	253	78	08	961
	18	Bukhara	29	22	363	78	08	765
	19	Jhanda pur	29	20	716	78	07	782
	20	Lakkhi Wala	29	18	310	78	07	051
	21	Dara Nagar Ganj	29	16	719	78	07	028
	22	Shahpur	29	15	988	78	08	021
	23	Mahmooda	29	15	641	78	09	189
	24	Chhachhri Teep	29	14	665	78	10	746
	25	Jhalau Leda	29	14	768	78	11	986
	26	Heempur Deepa	29	13	42.0	78	13	07.4
	27	Ratan pur Khurd	29	13	30.1	78	13	20.8

	28	SudniPur Rawti	29	12	42.7	78	13	50.5
	29	Akbar pur Tigri	29	11	12.3	78	14	36.6
	30	Rauniya	29	10	28.7	78	15	18.6
	31	Syau	29	08	48.3	78	15	46.4
	32	Chandpur	29	08	16.2	78	15	43.5
	33	Harpur	29	06	20.3	78	16	42.9
	34	Mirzapur	29	05	36.6	78	16	51.3
	35	Bagadpur	29	04	22.5	78	16	39.0
	36	Darwada	29	05	57.7	78	16	30.6
Hapur	**1**	Saidpur	28	52	22.0	78	02	37.2
	2	Kalyan Pur	28	49	45.2	78	03	22.7
	3	Janpura	28	49	28.1	78	03	10.6
	4	Khilwai	28	48	42.6	78	03	33.7
	5	Dautai	28	47	57.2	78	03	18.3
	6	Allawaksh Pur	28	46	05.8	78	06	11.2
Amroha	**1**	Bachhrayun	28	55	50	78	14	56.6
	2	Fatte pur Chhichhra	28	54	22.03	78	14	35.02
	3	Jogipura	28	53	59.1	78	14	25.0
	4	Sakarthali	28	52	20.7	78	13	57.04
	5	Chaki Kheda	28	51	25.1	78	13	25.0
	6	Ahrola Tezvan	28	51	13.2	78	13	30.0
	7	Kripal Nath Pur	28	50	18.8	78	13	06.7
	8	Fazal Pur	28	50	17.09	78	14	04.3
	9	Gajraula	28	50	17.06	78	14	32.02
	10	Kumharpura	28	55	52.3	78	15	03.2
	11	Mohammad Pura	28	56	17.3	78	15	22.2
	12	Kamal pur Kaji	28	56	54.7	78	15	42.1
	13	Dhanaura Shahar	28	57	33.6	78	15	23.5
	14	Pattarkuti	28	58	29.2	78	15	42.5
(Hasanpur Range)	**15**	Chuchaila Kalan	29	59	51.7	78	16	09.8
	16	Rasool Pur	27	01	03.3	78	16	15.3
	17	Fadedi	29	01	49.6	78	16	25.5
	18	Mahmooda Bad	28	46	19.0	78	09	53.0
	19	Kankather	28	47	07.4	78	11	11.1
	20	Sultaan ther	28	47	45.0	78	12	08.3
	21	Khiyali Pur	28	47	43.7	78	12	08.0
	22	Nai Pura	28	48	53.1	78	13	44.4
	23	Bhartiya Gram	28	49	09.8	78	14	01.3

Muzaffar nagar	**1**	Hasam Pura	29	15	25.80	77	58	46.51
	2	Kithora	29	16	51.09	77	57	11.55
	3	Meera Pur	29	17	35.10	77	56	58.90
	4	Valipura	29	18	10.74	77	56	52.64
	5	Sikandar Pur	29	19	38.08	77	57	37.54
	6	Jadwad	29	20	50.76	77	57	51.88
	7	Katiya	29	21	39.05	77	57	20.63
	8	Tandheda Sadat	29	22	17.79	77	56	52.12
	9	Tandheda Gairabad	29	22	32.54	77	56	44.25
	10	Kakrauli	29	23	41.59	77	55	10.33
	11	Daulat pur	29	25	47.52	77	55	38.47
	12	Kakrala	29	28	22.08	77	55	24.04
	13	Bhidahedi	29	27	27.75	77	55	25.12
	14	Nai Basti Maurna	29	27	45.60	77	55	35.16
	15	Athai	29	29	24.40	77	54	16.00
	16	Belda	29	30	28.48	77	52	33.23
	17	Dheerahedi	29	30	42.86	77	52	24.66
	18	Sikandar Pur	29	32	29.54	77	53	20.07
	19	Lalpur Gairabad	29	32	36.68	77	53	21.86

	20	ZindaWala	29	34	54.68	77	55	15.47
	21	Kalewal	29	35	06.78	77	54	50.93
	22	Milakpur	29	34	47.12	77	53	31.16
	23	Narayan puri	29	34	55.98	77	53	52.72
	24	Babra Gairabad	29	18	32.69	77	56	58.74
	25	Jamalpur Bangar	29	18	56.24	77	57	13.09
	26	Khokhani	29	24	19.99	77	55	26.50
	27	Raipur	29	30	07.23	77	53	07.19
	28	Nirangajani	29	31	19.07	77	52	45.94
	29	Duheli	29	34	37.27	77	53	10.45
	30	Hazipur Khadar Gairabad	29	34	36.68	77	58	28.17
	31	Almawala	29	34	21.89	77	59	58.93
	32	Majleeshpur	29	34	18.15	78	00	09.62
	33	Shahjahan pur	29	33	32.16	78	01	14.72

Annexure –IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.09 19:45:41 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.